फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**अमित गलुंडिया** | विपक्षी :–**हनी वगैरह**

किस्म मुकदमा :–131, 133 एल.आर.एक्ट | पत्रावली संख्या :–**141/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2025/489**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया किग्राममारुवास प.ह. नउवा की वर्तमान जमाबंदी के खाता स. 380 प्रार्थी श्री अमित गलुंडिया पुत्र अरुणकुमार गलुंडिया हिस्सा 1/3 जाति जैन, प्रिया गलुंडिया पत्नि अमित गलुंडिया हिस्सा– 1/3 जाति– जैन, राजकुमारी गलुंडिया पत्नि अरुणकुमार गलुंडिया हिस्सा– 1/3 जाति–जैन के नाम आराजी न. 1826/1660 रकबा 0.2428 है. किस्म आवासीय इकाई होकर रिकॉर्ड दर्ज है. खाता संख्या 199 प्रार्थी श्रीमती प्रिया गलुंडिया पत्नि अमित गलुंडिया हिस्सा पूर्ण जाति जैन के नाम आराजी न. 1830/1626 रकबा 0. 2428 है. किस्म आवासीय इकाई होकर रिकॉर्ड दर्ज है, खाता संख्या 232 श्रीमती हनी सनाढ्य पुत्री रविन्द्र नारायण सनाढ्य आराजी. न 1827/1660 किता 1 रकबा 0.2428 हे. किस्म मगरी दर्ज रिकॉर्ड है, खाता स. 396 प्रार्थी कार्तिक सुखवाल पुत्र पुरषोतम लाल सुखवाल के नाम आराजी न 1832/1626 रकबा 0.2428 है. किस्म आवासीय इकाई दर्ज रिकॉर्ड है. खाता स. 397 प्रार्थी कविता शर्मा पत्नी हर्षवर्धन आ.न 1831/1626 रकबा 0.2428 किस्म आवासीय इकाई दर्ज रिकॉर्ड है। खाता स. 314 खातेदार हेमसिंह हरीसिंह पुत्र नाहरसिंह जाती राजपूत आ. 1766/955 रकबा 0.3237, 1789/1113 रकबा 0.2428 खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 293 खातेदार किशन कुंवर पत्नी गोपाल सिंह प्रताप सिंह माधोसिंह मनोहर कुंवर पिता प्रताप सिंह हिस्सा, सव सिंह पिता नाहर सिंह राजपूत, आ. 1767/955 रकबा 0.3237 है., 1788/1113 रकबा किता 0.2428 हे. खातेदारी हक़ से दर्ज रिकॉर्ड है। यह की उपर्युक्त खसरा नम्बरों के आवंटन के नामांतरकरण पर ट्रेस चस्पा नहीं है एवं लट्ठा शिट पर भी सभी खसरे पेमुद नहीं है. जिससे मौके पर कब्जे ... तरमीम शुद्धि प्रार्थी/खातेदार द्वारा चाहे अनुसार तैयार की ... खसरा सं. 1788/1113 एवं 1789/1113 के पश्चिम दिशा में पुराना रास्ता बना हुआ है एवं मौके पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

चालू है। ऑनलाइन नक्शे में वक्त सेग्रीगेशन खसरा न. 1788/1113 रकबा 0.2428 की पश्चिमी सीमा से सटा हुआ रास्ता भी सहवन से खसरा स. 1788/1113 में सम्मिलित कर दर्शाया दिया गया है। लट्ठा शिट में मूल खसरा न. 1113 के पश्चिम की तरफ डोटेड चौन लाइन से रास्ता दर्शाया हुआ है जो ग्राम मारूवास में बिलानाम खसरा न. 1112 का भाग प्रतीत होता है जबकि 1788/1113 रकबा 0.2429 हे. जमाबंदी अनुसार है जो पुराने लट्टाहोती है इसी प्रकार 1789/1113 एवं मूल खसरा न.1113 से बने खसरा नं.2012/2004 की वर्तमान नक्शा बटर शीट एवं ऑनलाइन नक्शा की आकृति का मोका अनुसार मिलान नहीं होने से एवं कब्जे अनुसार प्रार्थी/खातेदाराण द्वारा चाहा गया तरमीम नक्शा तैयार किया जाकर सलंग है। किसी भी खातेदार/प्रार्थी के रकबे में कोई कमी–बेशी नहीं होती है।ग्राम मारुवास के मूल खसरा न. 955 से बने खसरा नम्बर 1827/1660, 1826/1660, 1830/1626, 1831/1626, 1832/1626, 1833/1626, 1862/955, 1767/955, 2002/1990, 1765/955, 1766/955, 2001/1990, 1989/1863 की वर्तमान नक्शा बटर शीट एवं ऑनलाइन नक्शा की आकृति का मोका अनुसार मिलान नहीं होने से एवं कब्जे अनुसार प्रार्थी/खातेदारान द्वारा चाहा गया तरमीम नक्शा तैयार किया जाकर सलंग है। किसी भी खातेदार/प्रार्थी के रकबे में कोई कमी–बेशी नहीं होती हैग्राम पंचायत नउवा द्वारा जारी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त तरमीम शुद्धि हेतु सहमती पत्र साथ संलग्न है। ग्राम मारुवास श्री राज्यसरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रः F.1 (14) UDH/UDAIPUR/2024-12946 दिनांक 28.05.2025 से उदयपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सम्मिलित है । तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भू.अभिलेख नि. वृत खेमली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, मोका पर्चा, नक़ल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस . गूगल इम्पोज संलग्न किए गए।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा के आराजी नम्बर 1767/955, 2001/1990, 2002/1990, 1766/955 की तरमीम लट्ठा शीट में नही थी। सेग्रीगेशन के समय राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किया गया। वक्त सेग्रीगेशन राजस्व नक्शा ऑनलाईन करते समय सभी खसरो की तरमीम की गई। उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियों द्वारा किस नक्शे के आधार पर की गई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। जबकि राजस्व नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:58:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खसरो की तरमीम नही थी। ना ही राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त तरमीम मौके अनुसार की गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आराजी नम्बर 1788/1113 की तरमीमसाबिक नक्शे में थी, परन्तु उक्त आराजी की तरमीम साबिक नक्शे अनुसार नही की गई। साथ ही तहसीलदार द्वारा यह भी कथन किया है कि उक्त आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नही कर रकबा कम ज्यादा कर दिया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के दौरान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे को ऑनलाईन किया जाना था। जिसमे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया जाना था अर्थात साबिक जमाबंदी एवं साबिक नक्शे अनुसार ही ऑनलाईन किया जाना था। साथ ही जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही साबिक नक्शे के आधार पर सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शा तैयार किया जाना था। परन्तु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजीयात का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है। साबिक नक्शे में आराजीयात की तरमीम नही थी। आवंटन के नक्शे के अनुसार तरमीम करनी चाहिए थी। यदि आवंटन के नक्शा भी नही था तो ऐसे में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर तरमीम करनी चाहिए थी। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर अपने मनमुताबिक तरमीम की गई। जिसके कारण उक्त आराजीयात का रकबा जमाबंदी दर्ज अनुसार नक्शे में नही है। जबकि जिस आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज है। उसके अनुसार ही राजस्व नक्शे में तरमीम करनी चाहिए थी। अर्थात जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में किसी भी आराजीयात का रकबा भिन्न नही हो सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मूल खसरा न. 955 से बने खसरा नम्बर 1827/1660, 1826/1660, 1830/1626, 1831/1626, 1832/1626, 1833/1626, 1862/955, 1767/955, 2002/1990, 1765/955, 1766/955, 2001/1990, 1989/1863 की तरमीम में ही भिन्नता है। तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त आराजीयात की तरमीम राजस्व नक्शे में मौके अनुसार नही है तथा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार भी उक्त आराजीयात का रकबा राजस्व नक्शे में नही है। साथ ही तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि में सभी आराजीयात मूल आराजी नम्बर भी एक ही है। अर्थात सभी आराजीयात एक ही आराजी से पृथक होकर बने हुए है जिनकी तरमीम शुद्धि मूल आराजी में ही की जानी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार घासा द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजीयात का जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं मौके अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की आराजी नम्बर 1827/1660, 1826/1660, 1830/1626, 1831/1626, 1832/1626, 1833/1626, 1862/955, 1767/955, 2002/1990, 1765/955, 1766/955, 2001/1990, 1989/1863 की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested